

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जनवरी 2024-माघ 6, शक 1945

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF NAME

I, Neeraj Bharti son of Dr B Bharti resident of c-84, Devashish, Rivera hill view (Rajharsh sector-c) kolar, huzur, Bhopal would like to inform that my son's current name is Rudra bharti, but due to some reasons we would like to change the name of our son. In future he will be known by his new name that is Amratya Bharti.

Your Faithfully
Dr. Neeraj Bharti

(G-170)

नाम परिवर्तन

मैं, पप्पी मीणा पुत्री स्व. श्री श्यामलाल मीणा वर्तमान मेरा नाम पप्पी मीणा है जिसे बदलकर मीनाक्षी मीणा करना चाहती हूँ अतः भविष्य में मुझे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मीनाक्षी मीणा के नाम से जानी व पहचानी जावे. निवास-म.नं. 23, गोंदरमऊ, गांधी नगर, भोपाल (म.प्र.).

पुराना नाम
(पप्पी मीणा)

नया नाम
(मीनाक्षी मीणा)

(G-171)

नाम परिवर्तन

मैं, सृष्टि गौरव (SHRISTI GAURAV) ग्राम-खुटार, डीवाटोला, जिला-सिंगरोली, मध्यप्रदेश, मेरा त्रुटिवश स्पेलिंग मिस्टेक से आधार कार्ड में नाम सृष्टी गौरव (SRISHTY GAURAV) हो गया था, जिसे मैं सृष्टि गौरव (SHRISTI GAURAV) कराना चाहता हूँ, भविष्य में मुझे सृष्टि गौरव (SHRISTI GAURAV) के नाम से जाना जायेगा.

पुराना नाम
(सृष्टी गौरव)
(SRISHTY GAURAV)

नया नाम
(सृष्टि गौरव)
(SHRISTI GAURAV)
पिता-रमाकांत शाह.

(G-172)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुराना नाम चन्द्रावती पति हरिशंकर सैनी जो राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा अन्य शासकीय दस्तावेजों इत्यादि में मेरा नया नाम धनवंता देवी पति हरिशंकर सैनी दर्ज है. अतः मुझे सभी शासकीय, एवं अर्द्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मेरे नये नाम धनवंता देवी पति हरिशंकर सैनी से जाना एवं पहचाना एवं उपयोग किया जावे.

पुराना नाम
(चन्द्रावती पति हरिशंकर सैनी)

नया नाम
(धनवंता देवी पति हरिशंकर सैनी)
568, योजना क्रमांक 36 ए, सीताराम जाजू नगर,
नीमच (म.प्र.).

(G-173)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ललिता यादव (Lalita Yadav) पत्नी श्री सोनू यादव (Sonu Yadav) निवासी- 1365, अमराई परिसर, बागसेवनिया, भोपाल (म.प्र.) विवाह पूर्व मेरा नाम ललिता चौकीकर (Lalita Chowkikar) था एवं मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में भी अंकित है.

अतः विवाह पश्चात मेरा बदलकर ललिता यादव (Lalita Yadav) पत्नी श्री सोनू यादव (Sonu Yadav) हो गया है, जो सही एवं सत्य है. अतः भविष्य में मुझे ललिता यादव (Lalita Yadav) पत्नी श्री सोनू यादव (Sonu Yadav) से जाना व पहचाना दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(ललिता चौकीकर)
(Lalita Chowkikar)

नया नाम
(ललिता यादव)
(Lalita Yadav)
पत्नी-श्री सोनू यादव (Sonu Yadav).

(G-174)

नाम परिवर्तन

मैं, लक्ष्मण सिंह बैस पिता स्व. श्री सूरत सिंह निवासी-60 क्वाटर नं. 7 / 4, एस.ए.एफ 6वीं बटालियन, अंबेडकर वार्ड, रांझी, मानेगांव, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.).

मेरे सेवा पुस्तिका में लक्ष्मण सिंह पिता स्व. श्री सूरत सिंह दर्ज है, जो गलत है. मेरा सही नाम लक्ष्मण सिंह बैस LAXMAN SINGH BAIS है, जो सभी पहचान पत्रों में दर्ज है.

पुराना नाम
(लक्ष्मण सिंह)
(LAXMAN SINGH)

नया नाम
(लक्ष्मण सिंह बैस)
(LAXMAN SINGH BAIS)

(G-175)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि त्रूटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम उजमा दर्ज है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही व वास्तविक नाम फातमा सिद्दीकी (Fatma Siddiqui) पिता—मोहम्मद मुजाहिद (Mohammad Mujahid) जो कि सही नाम है. अतः भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम फातमा सिद्दीकी (Fatma Siddiqui) पिता—मोहम्मद मुजाहिद (Mohammad Mujahid) से जाना व पहचाना दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(उजमा)
(Uzma)

नया नाम
(फातमा सिद्दीकी)
(Fatma Siddiqui)
पिता—मोहम्मद मुजाहिद
D/o Mohammad Mujahid.

(G-176)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बब्बू जंघेला (BABBU JANGHELA) S/o लखन जंघेला (LAKHAN JANGHELA) निवासी ग्राम—कमकासुर, थाना लखनवाड़ा, जिला सिवनी (म.प्र) मेरे कुछ शासकीय दस्तावेजों और मेरी पुत्री काजल जंघेला (KAJAL JANGHELA) की शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम गलत अंकित है. जैसे बब्बू वर्मा बब्बू, बब्बू जंघेला, किंतु मेरा वास्तविक और सही नाम बब्बू जंघेला (BABBU JANGHELA) S/o लखन जंघेला (LAKHAN JANGHELA) है. अब से मेरे सभी दस्तावेजों एवं मेरी पुत्री काजल जंघेला के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम बब्बू जंघेला (BABBU JANGHELA) लिखा, पढ़ा एवं समझा जावे तथा दर्ज किया जावे एवं इसी नाम से भविष्य में जाना—पहचाना जावे.

पुराना नाम
(बब्बू वर्मा)
(BABBU VERMA)

नया नाम
(बब्बू जंघेला)
(BABBU JANGHELA)

(G-177)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह से पूर्व मेरा नाम रामवती पुत्री श्री लच्छु था. विवाह के पश्चात् मैंने अपना नाम रामरती रख लिया है. मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम रामवती अंकित हो गया है. प्रकाशन उपरांत मेरे सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में नवीन/सही नाम रामरती पत्नी स्व. रामखिलावन से जाना एवं पहचाना, लिखा, पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(रामवती)
पिता—श्री लच्छु

नया नाम
(रामरती)
पत्नी—श्री रामखिलावन.

(G-178)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, खुशबू कुमारी सिंह पुत्री राजेन्द्र सिंह निवासी— बी-79, आकृति गार्डन, नेहरू नगर, भोपाल (म.प्र.) ने अपना पुनःविवाह सुधीर कुमार घोघरे पिता श्री कृष्णराव घोघरे से कर लिया है. अब से मेरे पुत्र को रोनक कुमार पिता विशाल साव को संरक्षक श्री सुधीर कुमार घोघरे के नाम से जाना व पहचाना जावे अब से मेरे पुत्र का यही सही नाम है.

पुराना नाम
(रोनक कुमार)
पुत्र—श्री विशाल साव

नया नाम
(रोनक कुमार)
संरक्षक—श्री सुधीर कुमार घोघरे.

(G-179)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षणिक रिकॉर्ड में मेरा नाम राजू पाटीदार पिता श्री गणेश लाल पाटीदार अंकित है. विवाह के पश्चात् मैं, श्रीमती रानू पाटीदार पति श्री इकलेश पाटीदार के नाम से जानी-पहचानी जाती हूँ. अतः समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय समस्त व्यक्ति, फर्म, निगम, संस्था इत्यादि द्वारा मुझे मेरे समस्त दस्तावेजों, लेखविलेख एवं पत्र इत्यादि में मेरा नाम राजू पाटीदार के स्थान पर रानू पाटीदार अंकित कर मुझे मेरे इसी नाम रानू पाटीदार से सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम

(राजू पाटीदार)

पिता—श्री गणेश लाल पाटीदार

(G-180)

नया नाम

(रानू पाटीदार)

पति—श्री इकलेश पाटीदार
ग्राम देहरिया साहू, तहसील हाटपिपल्या,
जिला देवास (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम देवकुमार जैन पिता श्री रतनलाल कासलीवाल (जैन) जो कि मेरे कई कंपनी के शेयर प्रमाण-पत्र पर देव कुमार कासलीवाल पिता श्री रतनलाल कासलीवाल दर्ज है. मेरे आधार कार्ड व पेनकार्ड पर मेरा देवेन्द्र कुमार कासलीवाल पिता श्री रतन लाल कासलीवाल पर दर्ज है. उपरोक्त दोनों नाम देवेन्द्र कुमार कासलीवाल पिता श्री रतन लाल कासलीवाल व देवकुमार जैन पिता श्री रतनलाल कासलीवाल (जैन) एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं.

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नये नाम देवेन्द्र कुमार कासलीवाल पिता श्री रतन लाल कासलीवाल के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं बोला जावे.

पुराना नाम

(देवकुमार जैन)

पिता—श्री रतनलाल कासलीवाल (जैन)

(G-181)

नया नाम

(देवेन्द्र कुमार कासलीवाल)

पिता—श्री रतन लाल कासलीवाल

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कल्पना कासलीवाल पति श्री देवेन्द्र कुमार कासलीवाल मेरा पूर्व नाम कल्पना जैन पति श्री देवेन्द्र कुमार कासलीवाल (जैन) था, जो कि मेरे कई कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट (प्रमाण-पत्र) पर भी दर्ज है. मेरे आधार कार्ड व पेनकार्ड पर मेरा नाम कल्पना कासलीवाल पति श्री देवेन्द्र कुमार कासलीवाल दर्ज है. उपरोक्त दोनों नाम कल्पना कासलीवाल पति श्री देवेन्द्र कुमार कासलीवाल व कल्पना जैन पति श्री देवेन्द्र कुमार कासलीवाल (जैन) एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं.

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नये नाम कल्पना कासलीवाल पति श्री देवेन्द्र कुमार कासलीवाल के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं बोला जावे.

पुराना नाम

(कल्पना जैन)

पति—श्री देवेन्द्र कुमार कासलीवाल (जैन)

(G-182)

नया नाम

(कल्पना कासलीवाल)

पति—श्री देवेन्द्र कुमार कासलीवाल

नाम परिवर्तन

मैं, शिव कुमारी (SHIV KUMARI) पत्नि श्री रामेश्वर कुशवाह सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे घर का नाम कुंवर देवी (KUNWAR DEVI) था जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिख गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, शिव कुमारी पत्नि श्री रामेश्वर कुशवाह के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ एवं जाउंगी, जो मेरे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इत्यादि अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम कुंवर देवी के स्थान पर शिव कुमारी लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(कुंवर देवी)

नया नाम
(शिव कुमारी)

पत्नि—श्री रामेश्वर कुशवाह
वार्ड नं. 16, तालाब के पास, किला रोड,
अम्बाह, मुरैना (म.प्र.).

(G-183)

नाम परिवर्तन

मैं, अशोक पाल (ASHOK PAL) पुत्र भगवान दास सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे घर का पूर्व का नाम दिलीप पाल (DILIP PAL) था, जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, अशोक पाल के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ एवं जाउंगा, जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम दिलीप पाल के स्थान पर अशोक पाल लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(दिलीप पाल)

नया नाम
(अशोक पाल)

पुत्र—भगवान दास
पानी की टंकी के पास, माधव नगर,
लक्ष्मीगंज, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-184)

नाम परिवर्तन

मैं, गुल्ला देवी (GULLA DEVEE) पत्नी श्री राघवेंद्र सिंह राजावत सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे घर का नाम प्रीति तोमर (राजावत) PREETI TOMAR (RAJAWAT) था, जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिख गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, गुल्ला देवी पत्नि श्री राघवेंद्र सिंह राजावत के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ एवं जाउंगी. जो मेरे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इत्यादि अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम प्रीति तोमर (राजावत) के स्थान पर गुल्ला देवी लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
प्रीति तोमर (राजावत)

नया नाम
(गुल्ला देवी)

पत्नी—श्री राघवेंद्र सिंह
भरोली कला नं. 1, मेहगांव भिण्ड (म.प्र.).

(G-185)

नाम परिवर्तन

मैं, वेदप्रताप सिंह (VEDPRATAP SINGH) पुत्र जयदेव सिंह तोमर सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे घर का नाम ऋषि तोमर (RISHI TOMAR) था, जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिख गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, वेदप्रताप सिंह पुत्र जयदेव सिंह तोमर के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ एवं जाउंगा. जो मेरे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इत्यादि अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम ऋषि तोमर के स्थान पर वेदप्रताप सिंह लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(ऋषि तोमर)

नया नाम
(वेदप्रताप सिंह)

पुत्र—श्री जयदेव सिंह तोमर
गांव माफल का पुरा, नयापुरा, बिचोला, मुरैना (म.प्र.).

(G-186)

नाम परिवर्तन

मैं, निहारिका शर्मा (NIHARIKA SHARMA) पुत्री अशोक शर्मा सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे घर का नाम राधा शर्मा (RADHA SHARMA) था, जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिख गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, निहारिका शर्मा पुत्री अशोक शर्मा के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ एवं जाउंगी. जो मेरे आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, इत्यादि अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम राधा शर्मा के स्थान पर निहारिका शर्मा लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम (राधा शर्मा)	नया नाम (निहारिका शर्मा) पुत्री-अशोक शर्मा वार्ड नं. 02, गली नं. 03, पूठ रोड, एम.एल.डी. कॉलोनी, अम्बाह मुरैना (म.प्र.).
(G-187)	

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स राधा रानी स्टोनेक्स जो 13, मॉडल टाउन साईधाम सिरोल रोड, ग्वालियर में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/42/ 01/0400/22 दि. 11-03-2022 है, जिसमें दिनांक 15-01-2024 को (1) श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री कौशल शर्मा निवासी-138, चीनोर रोड, गुप्तापुरा डबरा, चीनोर ग्वालियर, (2) श्री हनुमंत किशोर शुक्ला पुत्र श्री नारायण दास शुक्ला, निवासी बिहाइंड ऑफ सिविल हॉस्पिटल, उषा कॉलोनी, वार्ड नं. 14, डबरा, ग्वालियर, (3) श्री मुरारी लाल शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा, निवासी:-बडोखर मुरैना, (4) श्री मनोज पाराशर पुत्र श्री धनीराम पाराशर, निवासी:-304, एफ-ब्लॉक, साया मेंसन अपार्टमेंट, हरी शंकर पुरम, गिर्द ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप सम्मिलित हो रहे हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

(G-188)	मैसर्स राधा रानी स्टोनेक्स, (दुष्यंत मिश्रा) भागीदार 13, मॉडल टाउन, साईधाम, सिरोल रोड, गिर्द, ग्वालियर.
---------	---

CHANGE OF NAME

The general public is informed that earlier my name was Sushila Manikpuri husband of Shri Shyam Das Manikpuri. But now after my re-marriage, my name has become Parsilla Sahu husband Mr. Deepak Sahu.

Therefore, from today onwards, I should be known by thls name and my name Parsilla Sahu should be registered in my Aadhar card and in all the documents.

Old Name (SUSHILA MANIKPURI) W/o Shyam das Manikpuri	New Name (PARSILLA SAHU) W/o Deepak Sahu
(G-189)	

नाम परिवर्तन

मैं, सैयद अमान हुसैन पिता नसीब अहमद, निवासी-62/2, नेपियर टाउन, भंवरताल मुख्य गेट के सामने, जबलपुर, (म.प्र.) मेरे शैक्षणिक रिकॉर्ड एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरे पिता का गलत नाम सैयद नसीब हुसैन अंकित है, जबकि पिता का सही नाम नसीब अहमद (NASEEB AHMED) है। माता का गलत नाम सैयद उजमा अंकित है, जबकि माता का सही नाम उजमा हुसैन (UZMA HUSSAIN) है। यही नाम दर्ज किया जाये व लिखा-पढ़ा जावे।

आवेदक

(सैयद अमान हुसैन)

पिता-नसीब अहमद.

(G-190)

नाम परिवर्तन

सर्वजन सूचित हो कि मेरा नाम शैक्षणिक दस्तावेजों में सुनीता वर्मा है तथा समग्र आई. डी. में सुनीता देवी श्रीवास्तव तथा पेन कार्ड व आधार कार्ड में गुडडी देवी तथा वोटर कार्ड में सुनीता दर्ज है। सुनीता वर्मा, सुनीता देवी श्रीवास्तव, सुनीता तथा गुडडी देवी उपरोक्त नाम मेरे ही हैं तथा उक्त नामों की मैं एक ही महिला हूँ, मेरे जिस किसी भी दस्तावेज में मेरा नाम सुनीता देवी श्रीवास्तव, सुनीता तथा गुडडी देवी दर्ज है, उसके स्थान पर मुझे भविष्य में मुझे सुनीता वर्मा के नाम से ही जानी व पहचानी जावे और यही नाम पढ़ा-लिखा जावे।

पुराना नाम

(सुनीता देवी श्रीवास्तव/सुनीता/गुडडी देवी)

नया नाम

(सुनीता वर्मा)

पत्नी-अनूप प्रसाद श्रीवास्तव

पता-जी.एल. 1053, जी सेक्टर, दीनदयाल नगर,

ग्वालियर (म.प्र.).

(G-191)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सेवा अभिलेख में मेरा नाम अनवर अली हाशमी (ANWAR ALI HASMI) अंकित है।

अब मुझे अनवर हाशमी (ANWAR HASHMI) पुत्र श्री सैयद मकसूद अली (SYED MAQSOOD ALI) के नाम से जाना-पहचाना जाए। मेरे आधार कार्ड में भी मेरा यही नाम अंकित है।

पुराना नाम

(अनवर अली हाशमी)

नया नाम

(अनवर हाशमी)

पता- प्लेट नं. T-1, एस.एस. टावर,

कल्लन शाह का हाता, चिकलोद रोड,

जहाँगीराबाद, भोपाल (म.प्र.).

(G-192)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, काली साँवले (KALI SANWLE) पिता KALLU SANWLE, निवासी- 52, दाना-पानी, सरस्वती नगर, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मैं, अपना नाम परिवर्तित कर संजना साँवले (SANJANA SANWLE) पिता KAALLU SANWLE कर रही हूँ इसलिए मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम संजना साँवले (SANJANA SANWLE) पिता KAALLU SANWLE किया जावे व भविष्य में मुझे मेरे नया नाम संजना साँवले (SANJANA SANWLE) पिता KAALLU SANWLE के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम
काली साँवले (KALI SANWLE)
(G-193)

नया नाम
संजना साँवले (SANJANA SANWLE)

नाम परिवर्तन

मैं, स्नेहा पांचपाण्डे पति मनोज पांचपांडे Sneha Panchpandey W/o Manoj Panchpandey, निवासी-शंकर नगर, वार्ड नंबर-48, छिंदवाड़ा, तहसील व जिला छिंदवाड़ा. मेरा नाम स्नेहा पाण्डे पति मनोज कुमार पाण्डे Sneha Pandey W/o Manoj Kumar Pandey है, जो वर्तमान तक मेरे स्व. पति के शासकीय सेवा पुस्तिका में को बदलकर आज से अपना नया नाम स्नेहा पांचपाण्डे पति मनोज पांचपाण्डे Sneha Panchpandey W/o Manoj Panchpandey कर रही हूँ. आज के दिन से मुझे मेरे नये नाम स्नेहा पांचपाण्डे पति मनोज पांचपाण्डे Sneha Panchpandey W/o Manoj Panchpandey के नाम से जाना जाए.

पुराना नाम
(स्नेहा पाण्डे)
पति-मनोज कुमार पाण्डे
(G-194)

नया नाम
(स्नेहा पांचपाण्डे)
पति-मनोज पांचपाण्डे

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती सुदेशना बोस पत्नी श्री सुजीत बोस, निवासी-म.नं. 222, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल यह कि मेरा पूर्व दस्तावेजों में नाम सुदेशना बेरा (SUDESHNA BERA) था. शादी के बाद मेरा नाम बदलकर वर्तमान में सुदेशना बोस (SUDESHNA BOSE) हो गया है. भविष्य में मुझे सुदेशना बोस (SUDESHNA BOSE) के नाम से जानी व पहचानी जावे.

पुराना नाम
सुदेशना बेरा (SUDESHNA BERA)
(G-195)

नया नाम
सुदेशना बोस (SUDESHNA BOSE)

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, नजूल, संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़ वृत्त,
जिला भोपाल मध्यप्रदेश

प्र.क्र.0008/बी-113/2023-24.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जैसा कि "जीव सेवा संस्थान" न्यास बैरागढ़, भोपाल द्वारा ट्रस्ट की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि ट्रस्टियों में एक ट्रस्टी श्री के.एच. लखानी, वृद्धावस्था के कारण त्यागपत्र दिया है एवं नये न्यासी के रूप में श्री गोविंद सतवानी, निवासी गुजराज एवं श्री राजेन्द्र आहूजा दिल्ली को सर्वसम्मति से ट्रस्टी नियुक्त किया गया है. अतः एक न्यासी श्री के. एच. लखानी को हटाये जाने एवं दो नये न्यासियों को नियुक्त किये जाने के संबंध में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा 09-02-2024 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के "एक माह" के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 8 जनवरी, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

(G-196)

आदित्य जैन, अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, खण्डवा जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

प्र.क्र.0004/बी-113(1)/2023-24.

खण्डवा, दिनांक 07 दिसम्बर, 2023

प्रारूप चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) एवं
मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962, के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जैसा कि राजेन्द्रसिंह पिता मानसिंह गौड़, निवासी ग्राम टिटगांव ने अनुसूची में दर्शित न्यास/संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 8-1-2024 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा:-

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम	—	"श्रीराम मंदिर ट्रस्ट टिटगांव" तहसील व जिला खण्डवा
एवं पता		
चल संपत्ति	—	15,00,000/- नगदी (शब्दों में पंद्रह लाख)
अचल संपत्ति	—	1. ग्राम टिटगांव स्थित भूमि खसरा नंबर 145/1, रकबा 0.03 हे. खसरा नंबर 405 रकबा 1.35 हे. श्रीराम मंदिर ट्रस्टी जिलाधीश खण्डवा के नाम दर्ज.

(G-197)

प्र.क्र.0001/बी-113(1)/2023-24.

खण्डवा, दिनांक 07 दिसम्बर, 2023

प्रारूप चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (2) एवं

मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम 1962, के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जैसा कि संजय पिता सीताराम पाटीदार निवासी ग्राम सिरसौद ने अनुसूची में दर्शित न्यास/संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 8-1-2024 को विचार किया जायगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञापित के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा:-

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता.	- "पाटीदार समाज समिति ट्रस्ट" सिरसौद, तहसील व जिला खण्डवा
चल संपत्ति	- 40,000/- (शब्दों में चालीस हजार) जो बैंक में जमा है.
अचल संपत्ति	- निरंक.

(G-198)

अरविंद कुमार चौहान, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट अधिकारी उज्जैन नगर, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश
क्रमांक/एसडीएम नगर/रीडर-1/2024/H.N.363 उज्जैन, दिनांक 10 जनवरी, 2024
प्र./क्र./23-B-113-2023-24

प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5(1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास,

उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष.

चूंकि आवेदक श्री मोहनलाल पिता मांगीलाल वासवानी, निवासी- बी-12 गीता कॉलोनी, बुधवारिया, उज्जैन (म.प्र.) द्वारा "वरुणदेव अखण्ड ज्योति मंदिर न्यास" उज्जैन ने (म.प्र.), लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में लोक न्यास के रूप में पंजीकृत कराने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदक मेरे न्यायालय में दिनांक 15 फरवरी, 2024 को दोपहर 03:00 बजे स्थान- सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के प्रथम तल में खण्ड-स के कक्ष क्रमांक-101 में विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) उज्जैन नगर जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 10 जनवरी, 2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यवाही, न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जाएगा:-

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन, लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	:	"वरुणदेव अखण्ड ज्योति मंदिर न्यास".
कार्यालय	:	बी-12 गीता कॉलोनी, बुधवारिया, उज्जैन (म.प्र.).
अचल सम्पत्ति	:	वर्तमान में न्यास के पास अचल संपत्ति शून्य दर्शाई है.
चल सम्पत्ति	:	वर्तमान में न्यास के पास चल संपत्ति 1,21,000 /-रु. दर्शाई है.

(G-199)

लक्ष्मीनारायण गर्ग, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट.

आयुक्तों एवं कलेक्टर की सूचनाएं

न्यायालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश

क्र./ /रीडर-1/2023

प्र.क्र. 0039/बी-121/2023-24.

झाबुआ, दिनांक 26 दिसम्बर, 2023

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक अभय प्रताप सिंह, डिप्टी मैनेजर, आय. एच. बी. लिमि. इन्दौर द्वारा पत्र क्रमांक-IHB/Bhopal/KGPL/PAD-jhabua, दिनांक 15-05-2023 प्रस्तुत कर काण्डला-गोरखपुर एलपीजी पाईप लाईन हेतु ग्राम बेडदा, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ स्थित भूमि सर्वे नंबर 121 में से रकबा 0.25 हेक्टेयर भूमि पर इंटरमिडिएट पम्पिंग स्टेशन एवं SV स्टेशन बना हुआ है. आवेदक आयएचबी लिमिटेड इंदौर द्वारा इंटरमिडिएट पम्पिंग स्टेशन एवं एस व्ही स्टेशन को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने की मांग की गई है.

प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेटलावद को भेजकर जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेटलावद द्वारा तहसीलदार पेटलावद से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रतिवेदित किया गया कि, प.ह.नं. 53 ग्राम बेडदा में स्थित सर्वे नंबर 121 रकबा 0.25 हेक्टेयर भूमि कलेक्टर झाबुआ के न्यायालयीन प्र.क्र. 0013/अ-20(1)/2021-22 में अनुबंध दिनांक 27-04-2022 से आई.एच.बी. लिमिटेड काण्डला-गोरखपुर एल.पी.जी. पाईप लाईन तर्फे अनिल चौहान, परियोजना प्रबंधक, 610 बिजनसे स्काई पार्क इंदौर को स्थाई पट्टा दिनांक 31-03-2052 तक के लिये प्रदान किया गया है. उक्त भूमि पर मौके पर कंपनी द्वारा पम्पिंग स्टेशन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, चूंकि उक्त स्टेशन एल.पी.जी. गैस पाईप लाईन के रख रखाव एवं संचालन हेतु निर्मित किया जा रहा है तथा एल.पी.जी. अत्यंत ज्वलनशील पेट्रोलियम उत्पाद हैं. जिसकी सुरक्षा भारत सरकार के सुरक्षा अधिनियम के तहत की जाना अत्यंत आवश्यक होने के कारण उक्त भूमि सर्वे नंबर 121 में से रकबा 0.25 हेक्टेयर भूमि पर स्थित इंटरमिडिएट पंप स्टेशन को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाने की अनुशंसा की गई है.

अतः (म.प्र.) राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की धारा 26 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, तन्वी हुड्डा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ, ग्राम बेडदा प.ह.नं. 53, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ स्थित भूमि सर्वे नंबर 121 कुल रकबा 0.3800 हेक्टेयर में से रकबा 0.25 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित SV-18 , इंटरमिडिएट पम्पिंग स्टेशन

को संरक्षित क्षेत्र (प्रोटेक्टेड एरिया) निम्न प्रतिबंधों के साथ घोषित करती हूँ :-

1. कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार या जिला दण्डाधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, अनुज्ञा के बिना संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा या उस पर या उसमें नहीं रहेगा.
2. जहां उपधारा (2) के अनुसरण में किसी व्यक्ति को किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करने, उसमें रहने की अनुज्ञा दी जाती है वहां वह व्यक्ति ऐसे अनुज्ञा के अधीन कार्य करते समय अपने आचरण को विनियमित करने के लिये ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो कि उस प्राधिकारी द्वारा दिये जाए, जिसने कि अनुज्ञा दी है.
3. यदि कोई व्यक्ति इस धारा के किसी उपबंध के उल्लंघन में किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करेगा या रहेगा, तो ऐसी किन्ही भी अन्य कार्यवाहियों पर जो कि उसके विरुद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहां से हटाया जा सकेगा.
4. यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों के किसी उपबंध पर उल्लंघन करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना से या दोनों से दण्डनीय होगा.
5. कोई भी व्यक्ति, जो किसी संरक्षित स्थान पर संरक्षित क्षेत्र में ऐसे स्थान या क्षेत्र का संरक्षण करने या ऐसे स्थान या क्षेत्र में प्रवेश को रोकने या नियंत्रित करने के प्रयोजन से तैनात किये गये किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने या प्रयोग करने की धमकी देकर या किसी ऐसे व्यक्ति से अपने प्रवेश कराने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा.
6. प्रतिबंधित क्षेत्र पर तकनीकी सुरक्षा प्रबंधों की समुचित व्यवस्था की जावे.
7. किसी प्रकार की लापरवाही के कारण दुर्घटना घटने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व आय. एच. बी. लिमिटेड इंदौर का रहेगा.

(G-200)

क्र./ /रीडर-1/2023

प्र.क्र. 0038/बी-121/2023-2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक अभय प्रताप सिंह, डिप्टी मैनेजर, आय. एच. बी. लिमि. इन्दौर द्वारा पत्र क्रमांक-IHB/Bhopal/KGPL/PAD-jhabua, दिनांक 15-05-2023 प्रस्तुत कर काण्डला-गोरखपुर एलपीजी पाईप लाईन हेतु ग्राम बेकल्दा, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ स्थित भूमि सर्वे नंबर 138 रकबा 0.25 हेक्टेयर भूमि पर इंटरमिडिएट पंपिंग स्टेशन एवं SV-20 स्टेशन बना हुआ है. आवेदक आयएचबी लिमिटेड इंदौर द्वारा इंटरमिडिएट पंपिंग स्टेशन एवं एस व्ही-20 स्टेशन को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने की मांग की गई है.

प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेटलावद को भेजकर जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेटलावद द्वारा तहसीलदार पेटलावद से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रतिवेदित किया गया कि, प.ह.नं. 66 ग्राम बेकल्दा में स्थित सर्वे नंबर 138/1 रकबा 0.25 हेक्टेयर भूमि पर आई.एच.बी. लिमिटेड, इंदौर का पंपिंग स्टेशन बना हुआ है, जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है. उक्त स्टेशन एल.पी.जी. गैस पाईप लाईन के रख-रखाव एवं संचालन हेतु निर्मित किया जा रहा है तथा एल.पी.जी. अत्यंत ज्वलनशील पेट्रोलियम उत्पाद है. जिसकी सुरक्षा भारत सरकार के सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आती है. अतएव इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखे हुए प्लांट को किसी भी बाहरी घुसपैठ से भावित होने से बचाव हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाने की अनुशंसा की गई है.

अतः मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा-26 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, तन्वी हुड्डा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ, ग्राम बेकल्दा, प.ह.नं. 66, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ स्थित सर्वे नंबर 138/1 रकबा 0.25 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित SV-20, इंटरमिडिएट पम्पिंग स्टेशन को संरक्षित क्षेत्र (प्रोटेक्टेड एरिया) निम्न प्रतिबंधों के साथ घोषित करती हूँ :-

1. कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार या जिला दण्डाधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, अनुज्ञा के बिना संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा या उस पर या उसमें नहीं रहेगा.
2. जहां उपधारा (2) के अनुसरण में किसी व्यक्ति को किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करने, उसमें रहने की अनुज्ञा दी जाती है वहां वह व्यक्ति ऐसे अनुज्ञा के अधीन कार्य करते समय अपने आचरण को विनियमित करने के लिये ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो कि उस प्राधिकारी द्वारा दिये जाए, जिसने कि अनुज्ञा दी है.
3. यदि कोई व्यक्ति इस धारा के किसी उपबंध के उल्लंघन में किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करेगा या रहेगा, तो ऐसी किन्ही भी अन्य कार्यवाहियों पर जो कि उसके विरुद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहां से हटाया जा सकेगा.
4. यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों के किसी उपबंध पर उल्लंघन करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना से या दोनो से दण्डनीय होगा.
5. कोई भी व्यक्ति, जो किसी संरक्षित स्थान पर संरक्षित क्षेत्र में ऐसे स्थान या क्षेत्र का संरक्षण करने या ऐसे स्थान या क्षेत्र में प्रवेश को रोकने या नियंत्रित करने के प्रयोजन से तैनात किये गये किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने या प्रयोग करने की धमकी देकर या किसी ऐसे व्यक्ति से अपने प्रवेश कराने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने या दोनो से दण्डनीय होगा.
6. प्रतिबंधित क्षेत्र पर तकनीकी सुरक्षा प्रबंधों की समुचित व्यवस्था की जावे.
7. किसी प्रकार की लापरवाही के कारण दुर्घटना घटने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व आय. एच. बी. लिमिटेड इंदौर का रहेगा.

(G-201)

क्र./ /रीडर-1/2023

प्र.क्र. 0037/बी-121/2023-24.

झाबुआ, दिनांक 26 दिसम्बर, 2023

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक अभय प्रताप सिंह, डिप्टी मैनेजर, आय. एच. बी. लिमि. इन्दौर } k j k i = d e l a & I H B / B h o p a l / K G P L / P A D - j h a b u a, दिनांक 15 मई 2023 प्रस्तुत कर काण्डला-गोरखपुर एलपीजी पाईप लाईन हेतु ग्राम अल्स्याखेडी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ स्थित भूमि सर्वे नंबर 1616, 1621 रकबा क्रमांक 0.02, 0.2850 हेक्टेयर कुल रकबा 0.3050 हेक्टेयर भूमि पर इंटरमिडिएट पम्पिंग स्टेशन एवं SV स्टेशन बना हुआ है. आवेदक आयएचबी लिमिटेड इंदौर द्वारा इंटरमिडिएट पम्पिंग स्टेशन एवं एस व्ही स्टेशन को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने की मांग की गई है.

प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेटलावद को भेजकर जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेटलावद द्वारा तहसीलदार पेटलावद से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रतिवेदित

किया गया कि, प.ह.नं. 58 ग्राम अलस्याखेडी में स्थित सर्वे नंबर 1616, 1621 रकबा क्रमशः 0.02, 0.2850 हेक्टेयर कुल रकबा 0.3050 हेक्टेयर भूमि कलेक्टर झाबुआ के न्यायालयीन प्र.क्र. 0038/अ-20(2)/2022-23 में पारित आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2022 से आई.एच.बी. लिमिटेड काण्डला-गोरखपुर एल.पी.जी. पाईप लाईन इंदौर को आबंटित की गई है। उक्त भूमि पर मौके पर कंपनी द्वारा पम्पिंग स्टेशन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, चूंकि उक्त स्टेशन एल.पी.जी. गैस पाईप लाईन के रख-रखाव एवं संचालन हेतु निर्मित किया जा रहा है तथा एल.पी.जी. अत्यंत ज्वलनशील पेट्रोलियम उत्पाद हैं जिसकी सुरक्षा भारत सरकार के सुरक्षा अधिनियम के तहत की जाना अत्यंत आवश्यक होने के कारण उक्त भूमि सर्वे नंबर 1616, 1621 रकबा क्रमशः 0.02, 0.2850 हेक्टेयर कुल रकबा 0.3050 हेक्टेयर भूमि इंटरमिडिएट पंप स्टेशन को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 26 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, तन्वी हुड्डा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ, ग्राम अलस्याखेडी प.ह.नं. 58, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ स्थित भूमि सर्वे नंबर 1616, 1621 रकबा क्रमशः 0.02, 0.2850 हेक्टेयर कुल रकबा 0.3050 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित SV-19, इंटरमिडिएट पम्पिंग स्टेशन को संरक्षित क्षेत्र (प्रोटेक्टेड एरिया) निम्न प्रतिबंधों के साथ घोषित करती हूँ :-

1. कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार या जिला दण्डाधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, अनुज्ञा के बिना संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा या उस पर या उसमें नहीं रहेगा।
2. जहां उपधारा (2) के अनुसरण में किसी व्यक्ति को किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करने, उसमें रहने की अनुज्ञा दी जाती है वहां वह व्यक्ति ऐसे अनुज्ञा के अधीन कार्य करते समय अपने आचरण को विनियमित करने के लिये ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो कि उस प्राधिकारी द्वारा दिये जाए, जिसने कि अनुज्ञा दी है।
3. यदि कोई व्यक्ति इस धारा के किसी उपबंध के उल्लंघन में किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करेगा या रहेगा, तो ऐसी किन्ही भी अन्य कार्यवाहियों पर जो कि उसके विरुद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहां से हटाया जा सकेगा।
4. यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों के किसी उपबंध पर उल्लंघन करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना से या दोनो से दण्डनीय होगा।
5. कोई भी व्यक्ति, जो किसी संरक्षित स्थान पर संरक्षित क्षेत्र में ऐसे स्थान या क्षेत्र का संरक्षण करने या ऐसे स्थान या क्षेत्र में प्रवेश को रोकने या नियंत्रित करने के प्रयोजन से तैनात किये गये किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने या प्रयोग करने की धमकी देकर या किसी ऐसे व्यक्ति से अपने प्रवेश कराने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने या दोनो से दण्डनीय होगा।
6. प्रतिबंधित क्षेत्र पर तकनीकी सुरक्षा प्रबंधों की समुचित व्यवस्था की जावे।
7. किसी प्रकार की लापरवाही के कारण दुर्घटना घटने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व आय. एच. बी. लिमिटेड इंदौर का रहेगा।

(G-202)

तन्वी हुड्डा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी, खरगोन, सामान्य वनमण्डल, खरगोन, मध्यप्रदेश

क्र. राजस्व-2023-10078.

खरगोन, दिनांक 30 नवम्बर, 2023

चराई से प्रतिबंधित क्षेत्रों की सूची वनमण्डल सामान्य खरगोन

समस्त पशु स्वामियों एवं चरवाहों के सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जाता है कि खरगोन वनमण्डल के इन वनक्षेत्रों में 1 जुलाई 2023 से आगामी आदेश तक पशु चराते पाये जायेंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी :-

अ.क्र.	परिक्षेत्र का नाम	चराई से बन्ध क्षेत्र रोपण का प्रकार	रोपण क्षेत्र	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल हे. में
1	2	3		4	5
वर्ष 2019					
1	कसरावद	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन मिश्रित वृक्षारोपण	उमरदड	1026	50.00
2	भीकनगांव	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन मिश्रित वृक्षारोपण	रोडिया	998	100.00
3	बिस्तान	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	चमोली	487	50.00
4	बिस्तान	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	धरमपुरी	609	40.00
5	बिस्तान	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	लाहीरपानी	655	60.00
6	बिस्तान	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	जामली	667	60.00
7	बिस्तान	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	झगडी	692	70.00
8	बिस्तान	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	मेडागढ	776	35.00
9	बिस्तान	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	भुलवान्या	477	35.00
10	चिरीया	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	बोदरान्या	913	100.00
11	तितरान्या	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	गाडग्याम	845	50.00
12	खरगोन	कैम्पा मद् के अन्तर्गत (मोहनी तालाब) वैकल्पिक वृक्षारोपण	तलकपुरा	1078	50.00
13	चिरीया	कैम्पा मद् के अन्तर्गत (मोहनी तालाब) वैकल्पिक वृक्षारोपण	बडी	925	40.00
14	चिरीया	कैम्पा मद् के अन्तर्गत (मोहनी तालाब) वैकल्पिक वृक्षारोपण	नहालदरी	909	35.00
15	बिस्तान	कैम्पा मद् के अन्तर्गत (मोहनी तालाब) वैकल्पिक वृक्षारोपण	काबरी	467	40.00
16	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद् से शहरी वृक्षारोपण	राजपुरा	918	50.00
17	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद् से शहरी वृक्षारोपण	सोईखेडा	935	25.00
18	भीकनगांव	एन.पी.व्ही. मद् से शहरी वृक्षारोपण	कोडियाखाल	961	25.00
19	भीकनगांव	एन.पी.व्ही. मद् से शहरी वृक्षारोपण	बंझर	966	50.00
20	बिस्तान	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	मोहनपुरा	701	5.00
21	बिस्तान	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	मोहनपुरा	688	5.00
22	बिस्तान	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	मोहनपुरा	644	5.00
23	बिस्तान	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	अनकवाडी	631 भाग 1	5.00
24	बिस्तान	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	अनकवाडी	631 भाग 2	5.00
25	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	मुण्डिया	734	5.00
26	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	घोडी	709 भाग 1	5.00
27	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	घोडी	709 भाग 2	5.00
28	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	खारवा	949 भाग 1	5.00
29	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	खारवा	949 भाग 2	5.00
30	कसरावद	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	साडली	पी 1182 भाग 1	5.00
31	कसरावद	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	साडली	पी 1182 भाग 2	5.00
32	कसरावद	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	पानवा	पी 1189	5.00
33	कसरावद	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	बलकवाडी	1047	5.00
34	भीकनगांव	एन.पी.व्ही. मद् से जलाऊ वृक्षारोपण	अंदड	1009	5.00

35	भीकनगांव	एन.पी.व्ही. मद से जलाऊ वृक्षारोपण	मछलगंवा	963	5.00
36	खरगोन	एन.पी.व्ही. मद से जलाऊ वृक्षारोपण	शाबासपुरा	1171	5.00
37	खरगोन	एन.पी.व्ही. मद से जलाऊ वृक्षारोपण	शाबासपुरा	1200	5.00
38	खरगोन	एन.पी.व्ही. मद से जलाऊ वृक्षारोपण	शाबासपुरा	1199 भाग -1	5.00
39	खरगोन	एन.पी.व्ही. मद से जलाऊ वृक्षारोपण	शाबासपुरा	1199 भाग -2	5.00
40	चिरीया	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	खारवा	948 भाग-1	5.00
41	चिरीया	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	खारवा	948 भाग-2	5.00
42	चिरीया	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	मुण्डिया	734	5.00
43	चिरीया	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	गुलझिराटाग्या	709	5.00
44	भीकनगांव	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	मोहनपुरा	991 भाग-1	5.00
45	भीकनगांव	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	मोहनपुरा	991 भाग-2	5.00
46	भीकनगांव	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	रोडिया	997 भाग-1	5.00
47	भीकनगांव	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	रोडिया	997 भाग-2	5.00
48	भीकनगांव	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	जामन्या फाल्या	1015 भाग-1	5.00
49	भीकनगांव	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	जामन्या फाल्या	1015 भाग-2	5.00
50	भीकनगांव	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	सातखाली	1005 भाग-2	5.00
51	खरगोन	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	दसनावल	1039	5.00
52	खरगोन	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	शाबासपुरा	1171	5.00
53	खरगोन	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	सतावढ	1193	5.00
54	खरगोन	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	शाबासपुरा	1200	5.00
55	बिस्टान	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	सामरपाट	688	5.00
56	बिस्टान	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	झगडी	697	5.00
57	बिस्टान	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	बामनपुरी	632	5.00
58	बिस्टान	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	सामरपाट	644	5.00
59	बरुड	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	पिपल्या बावडी	659 भाग-1	5.00
60	बरुड	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	पिपल्या बावडी	659 भाग-2	5.00
61	कसरावद	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	उमरदड	1021 भाग-1	5.00
62	कसरावद	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	उमरदड	1021 भाग-2	5.00
63	कसरावद	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	उमरदड	1021 भाग-3	5.00
64	कसरावद	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	गवला	पी 1182 भाग-1	5.00
65	कसरावद	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	गवला	पी 1182 भाग-2	5.00
66	तितरान्या	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	पाडल्या	877 भाग-1	5.00
67	तितरान्या	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	पाडल्या	877 भाग-2	5.00
68	सिरवेल	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	उमरिया	553	5.00
69	सिरवेल	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	कुम्हावेडी	583	5.00
70	सिरवेल	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	सिरवेल	545	5.00
71	सिरवेल	कैम्पा मद अन्तर्गत ऊर्जाविन स्थापना	पलासखुट	600	5.00
वर्ष 2020					
1	खरगोन	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत मिश्रित वृक्षारोपण	सेगांव	1083	50
2	खरगोन	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत मिश्रित वृक्षारोपण	तलकपुरा	1078	50
3	भीकनगांव	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत मिश्रित वृक्षारोपण	मछलगंवा	980	50

वर्ष 2021					
1	बिस्टान	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	बिस्टान	614	70
2	सिरवेल	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	सिरवेल	549	40
3	भीकनगांव	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	भीकनगांव	996	40
4	बरुड	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	बरुड	412	50
5	चिरीया	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	चिरीया	769	50
6	चिरीया	कैम्पा मद अन्तर्गत मिश्रित वृक्षारोपण स्थापना	चिरीया	729	25
7	तितरान्या	कैम्पा मद अन्तर्गत मिश्रित वृक्षारोपण स्थापना	तितरान्या	823	60
8	भीकनगांव	कैम्पा मद अन्तर्गत मिश्रित वृक्षारोपण स्थापना	भीकनगांव	952	50
9	भीकनगांव	कैम्पा मद अन्तर्गत मिश्रित वृक्षारोपण स्थापना	भीकनगांव	985	100
वर्ष 2022					
1	चिरीया	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	नहालदरी	907	40.00
2	भीकनगांव	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	गाड़ग्याम	870	30.00
3	खरगोन	वृक्ष विहीन पहाड़ियों को हराभरा करना	तलकपुरा	1077	50.00
4	बरुड	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार	केली	1151	30.00
5	बरुड	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार	चिचगढ़	1160	20.00
6	बरुड	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार	जलालाबाद	412	30.00
7	बरुड	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार	केली	1154	30.00
8	बरुड	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार	चिचगढ़	1162	30.00
9	सिरवेल	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार	रूपगढ़	543	25.00
10	सिरवेल	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार	सातपाटी	1091	30.00
11	बिस्टान	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार	कावरी	479	25.00
12	बिस्टान	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार	पिपलझोपा	656	25.00
13	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार	राजपुरा	918	40.00
14	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार	बड़ी	934	25.00
15	तितरान्या	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार	काकोड़ा	839	25.00
16	तितरान्या	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार	गाड़ग्याम	872	30.00
17	भीकनगांव	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार	रोड़िया	996	80.00
18	बिस्टान	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार	मुवासमाल	487	20.00
19	बिस्टान	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार	झगडी	694	40.00
20	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार	बड़ी	932	20.00
21	तितरान्या	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार	काकोड़ा	839	40.00
22	तितरान्या	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार	गाड़ग्याम	875	20.00
23	बिस्टान	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार	लावरिया	517	40.00
24	बिस्टान	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार	रायटेमरी	575	40.00
25	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार	मुण्डिया दक्षिण	769	20.00
26	चिरीया	एन.पी.व्ही. मद के अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार	नहालदरी	960	40.00
27	खरगोन	मनरेगा योजना अन्तर्गत बांस वृक्षारोपण	ऊन	1081	25.00
28	सिरवेल	मनरेगा योजना अन्तर्गत बांस वृक्षारोपण	सिरवेल	545	30.00
29	सिरवेल	मनरेगा योजना अन्तर्गत बांस वृक्षारोपण	कुम्हारबेड़ी	587	20.00
30	कसरवावद	मनरेगा योजना अन्तर्गत बांस वृक्षारोपण	कमोदवाड़ा	1028	25.00
वर्ष 2023					
1	खरगोन	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	तलकपुरा	1078	50.00
2	खरगोन	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	तलकपुरा	1079	55.00
3	बिस्टान	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	धरमपुरी	557	20.00

4	बिस्टान	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	खैरकुण्डी	730	30.00
5	बिस्टान	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	बडया	621	40.00
6	चिरीया	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	बाजार खोदरा	757	40.00
7	चिरीया	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	मुण्डिया	734	40.00
8	कसरावद	कार्य आयोजना का क्रियान्वयन बिगड़े वनों का सुधार	अहिल्यापुरा	1035	30.00
9	बिस्टान	कैम्पा मद् अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार क्षेत्र तैयारी	बोकरान्या	649	50.00
10	बिस्टान	कैम्पा मद् अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार क्षेत्र तैयारी	काबरी	479	25.00
11	बिस्टान	कैम्पा मद् अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार क्षेत्र तैयारी	रायसागर	611	25.00
12	सिरवेल	कैम्पा मद् अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार क्षेत्र तैयारी	सिरवेल	545	50.00
13	सिरवेल	कैम्पा मद् अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार क्षेत्र तैयारी	अम्बा	557	30.00
14	सिरवेल	कैम्पा मद् अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार क्षेत्र तैयारी	पलासखुँट	598	30.00
15	सिरवेल	कैम्पा मद् अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार क्षेत्र तैयारी	कुम्हारबैड़ी	585	30.00
16	सिरवेल	कैम्पा मद् अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार क्षेत्र तैयारी	रुलीबढ	1086	30.00
17	सिरवेल	कैम्पा मद् अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार क्षेत्र तैयारी	रुपगढ	543	30.00
18	सिरवेल	कैम्पा मद् अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार क्षेत्र तैयारी	सातपाटी	1091	30.00
19	सिरवेल	कैम्पा मद् अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार क्षेत्र तैयारी	झापड़ीमली	1101	35.00
20	बरुड	कैम्पा मद् अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार क्षेत्र तैयारी	सिलोटिया	426	20.00
21	बरुड	कैम्पा मद् अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार क्षेत्र तैयारी	केली	1051	20.00
22	बरुड	कैम्पा मद् अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार क्षेत्र तैयारी	लिपनी	422	20.00
23	चिरीया	कैम्पा मद् अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार क्षेत्र तैयारी	नहालदरी	910	60.00
24	चिरीया	कैम्पा मद् अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार क्षेत्र तैयारी	राजपुरा	912	50.00
25	तितरान्या	कैम्पा मद् अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार क्षेत्र तैयारी	बोरवाल	834	30.00
26	तितरान्या	कैम्पा मद् अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार क्षेत्र तैयारी	गाङ्ग्याम	852	30.00
27	तितरान्या	कैम्पा मद् अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार क्षेत्र तैयारी	सतापीपरी	822	30.00
28	तितरान्या	कैम्पा मद् अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार क्षेत्र तैयारी	गाङ्ग्याम	853	40.00
29	भीकनगांव	कैम्पा मद् अन्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार क्षेत्र तैयारी	रोड़िया	997	50.00
30	कसरावद	अम्बा रोड़िया माईक्रोलिफ्ट सिचाई परियोजना	भरनिया	खसरा नम्बर-90	6.00
31	कसरावद	अम्बा रोड़िया माईक्रोलिफ्ट सिचाई परियोजना	भरनिया	खसरा नम्बर-343	8.00
32	कसरावद	बलकवाडा माईक्रोलिफ्ट सिचाई परियोजना	डालची	खसरा नम्बर-90	14.00
33	चिरीया	अमेलिया कोल ब्लाक टी.एच.डी.टी.	जामन्यापानी	712	60.00
34	भीकनगांव	अमेलिया कोल ब्लाक टी.एच.डी.टी.	कालधा	972	40.00
35	भीकनगांव	अमेलिया कोल ब्लाक टी.एच.डी.टी.	रोड़िया	999	50.00
36	भीकनगांव	अमेलिया कोल लाक टी.एच.डी.टी.	लंगडीबैड़ी	1012	50.00

(G-203)

प्रशांत कुमार सिंह, वनमंडलाधिकारी.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 जनवरी 2024—माघ 6, शक 1945

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)